भारत जारी रखेगा चीनी निर्यात सब्सिडी

ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला ने भारत पर लगाया व्यापार नियमों के उल्लंघन का आरोप

रॉयटर्स
मुंबई, 15 जुलाई

प्रतिस्पर्धी उत्पादकों - ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया की ओर से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को शिकायत किए जाने के बावजूद भारत चीनी निर्यात सब्सिडी जारी रखेगा। हालांकि वह इसे प्रदान करने के तरीके में सुधार करेगा। इस विषय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े चार सूत्रों ने यह जानकारी दी।

इस निर्यात सब्सिडी का लक्ष्य दुनिया के इस दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक की खेपों में इजाफा करना और उसके लबालब स्टॉक को कम करना है। लेकिन इससे वैश्विक कीमतों पर दबाव पड़ सकता है जो 2018 में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद इस वर्ष केवल 2.1 प्रतिशत ही संभल सकी हैं।

नीति निर्माण में शामिल एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि निर्यात के लिए उद्योग को सरकारी सहायता की जरूरत है। यह डब्ल्यूटीओ की रूपरेखा का उल्लंघन किए बिना प्रदान की जाएगी। हमें प्रोत्साहन प्रदान करने के तरीके में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। सरकार और उद्योग के अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि वे किस तरह के बदलाव करने की योजना बना रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि वे डब्ल्यूटीओ के विशेषज्ञों से सुझाव मांग रहे हैं।

गन्ने की जोरदार उपज और रिकॉर्ड चीनी उत्पादन ने भारतीय चीनी के दामों को नुकसान पहुंचाया है जिससे मिलों के लिए किसानों को पैसा चुकाने में मुश्किल हो रही है। यह ऋण और बढ़ता स्टॉक कम करने के लिए भारत ने कहा है कि विदेशों में चीनी बिक्री के लिए वह सितंबर में मिलों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा और 30 सितंबर को समाप्त हो रहे विपणन वर्ष 2018/19 के लिए 50 लाख टन का निर्यात लक्ष्य निर्धारित करेगा। भारत का निर्यात एक साल पहले के 6,20,000 टन से बढ़कर 33 लाख टन हो गया है। इसने प्रतिस्पर्धियों को विश्व व्यापार संगठन में शिकायत करने के लिए उकसाया। उस पर व्यापार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया।

गुरुवार को ब्राजील सरकार ने कहा था कि उसने भारतीय चीनी सब्सिडी के संबंध में अपना विवाद सुलझाने के उद्देश्य से डब्ल्यूटीओ को एक पैनल का गठन करने के लिए कहा है। ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने भी गुरुवार को शिकायत दर्ज कराई थी। भारत बंदरगाहों से दूरी के आधार पर चीनी मिलों को 1,000 रुपये प्रति टन से लेकर 3,000 रुपये प्रति टन के बीच परिवहन सब्सिडी प्रदान कर रहा है। सरकार ने गन्ना किसानों को सीधे भुगतान की जाने वाली राशि को भी बढ़ाकर 138 रुपये प्रति टन कर दिया है जो एक साल पहले 55 रुपये थी।

बुधवार को भारतीय उद्योग और सरकारी अधिकारियों ने इस बात पर चर्चा की थी कि डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन किए बिना 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले विपणन वर्ष में कैसे प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है। इस चर्चा में शामिल रहने वाले उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि आगामी सीजन के लिए निर्यात नीति को अगले महीने की शुरुआत में अंतिम रूप दिया जा सकता है।

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि चीनी मिलें अनुरोध कर रही हैं कि सरकार अगले सीजन में 70 लाख टन से 80 टन चीनी निर्यात के लिए प्रोत्साहन प्रदान करे जो इस सीजन के 50 लाख टन के लक्ष्य से अधिक है।

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ लिमिटेड (एनएफसीएसएफ) के प्रबंध निदेशक प्रकाश नायकनवरे ने कहा कि निर्यात नीति की घोषणा करने से मिलों को इस बात का फैसला करने में मदद मिलेगी कि सीजन की शुरुआत में निर्यात के लिए सफेद चीनी का उत्पादन किया जाए या कच्ची चीनी का।

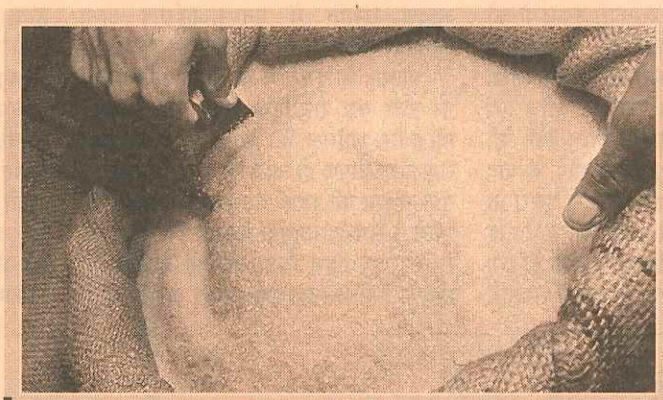

व्यापार नियमों का उल्लंघन

- भारत का निर्यात **6,20,000** टन से बढ़कर हुआ **33** लाख टन
- इसने प्रतिस्पर्धियों को विश्व व्यापार संगठन में शिकायत करने के लिए उकसाया
- चीनी निर्यात नीति की घोषणा अगस्त तक होने के आसार
- **80** लाख टन तक चीनी निर्यात के लिए प्रोत्साहन की मांग कर रहीं चीनी मिलें
- **50** लाख टन चीनी निर्यात के लिए दिया जा रहा प्रोत्साहन
- डब्ल्यूटीओ का उल्लंघन किए बिना सब्सिडी पर हो रहा विचार
- डब्ल्यूटीओ के विशेषज्ञों से मांगे जा रहे हैं सुझाव

Economic Times
16/7/2019